156

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 8–2–2017 पारित द्वारा श्री एम0 के0 सिंह, सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निग0 2697–चार/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–11–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर प्र0क0 673/अ–6/2000–01

1 नव्वीबाई पुत्री रामलाल
2 हरियाबाई पुत्री रामलाल
दोनों निवासी बरखण्डा तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 वेजन्तीबाई पत्नी दशरथ सिंह धाकड
निवासी उदयपुरा तहसील उदयपुरा जिला रायसेन
2 रामकलीबाई पत्नी रामसेवक पुत्री रामलाल
निवासी पीपरपानी तह0 गाडरवारा जिला नरसिंहपुर
3 हरनारायण आत्मज श्री बारेलाल
निवासी पीपरपानी तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर
4 आशाराम आत्मज मोहनलाल (मृत वारिसान):–
रोकडसिंह पुत्र स्व0 आशाराम
निवासी ग्राम पीपरपानी पो0 ढिलवार
तह0 तेंदूखेडा, जिला नरसिंहपुर
5 वीरनलाल आत्मज मोहनलाल (मृत वारिसान):–
1 शंकर सिंह
2 केवल सिंह
3 देवीसिंह
पुत्र स्व0 वीरनलाल निवासी ग्राम डोंगरा
पो0आ0 चीरवली थाना देवरी तह0 उदयपुरा
जिला रायसेन म0 प्र0

6 गोमतीबाई बेवा वारेलाल
7 तेजराम पुत्र डब्बल सिंह
8 छोटेलाल नाबालिगान आत्मज डब्बल सिंह
वली काका हरनारायण क्रमांक 7, 8 निवासी
पीपरपानी तह0 गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

.....अनावेदकगण

(आदेश दिनांक 8–2–2017)

XXXIX(a)BR(II)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2697–चार/02 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 673/अ–6/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 8–11–2002 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका बैजंतीबाई द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम पीपरपानी की नामांतरण पंजी में प्रविष्टि कमांक 13/80 पर पारित आदेश दिनांक 25–4–1992 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 21–5–97 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि अनावेदिका द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की थी वास्तव में उस दिनांक को कोई आदेश पारित नहीं किया था अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । यह भी कहा कि यदि यह मान लिया जाये कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 25–4–92 के विरूद्ध ही अपील पेश की थी, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2697–चार/02 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवसर दिए जाने के बाद भी उसने अपना पक्ष नहीं रखा है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित एवं न्यायिक है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है । इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदिका नब्बी बाई द्वारा अवधि बाह्य अपील पेश की गई थी । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों में सर्वप्रथम अवधि के प्रश्न का निराकरण किया जाना चाहिए इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 254 अवलोकनीय है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 1993 आर0एन0 4 में मंडल के विद्वान अध्यक्ष द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 44(1) तथा 47 – समय वर्जित अपील – अपील न्यायालय का कर्त्तव्य एवं शक्तियां – सर्वप्रथम परिसीमा विवाद्यक विनिश्चत किया जाना चाहिए – गुणागुण पर आदेश केवल परिसीमा विवाद्यक के विनिश्चयन के पश्चात पारित किया जा सकता है । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा ऐसा न करते हुए साथ आदेश पारित किया गया है, जो उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में विधिसम्मत नहीं है । इस तथ्य को भी अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की	

निग० - 2697 - चार / 02

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में भी निगरानी विलंब से पेश की थी ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को सर्वप्रथम अवधि के प्रश्न का निराकरण करना था उनके द्वारा ऐसा न करते हुए सीधे गुणदोष पर आदेश पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है ।

यह भी तर्क दिया गया कि आवेदिका एवं बैजंतीबाई स्व. रामलाल की वैध उत्तराधिकारी नहीं हैं इसलिए उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है किइस प्रकरण में विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 2-3-1992 को प्रविष्टि क्रमांक 13/80 पर की गई प्रविष्टि को दिनांक 25-4-1992 द्वारा प्रमाणित किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई जो उन्होंने निरस्त की है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25-4-1992 द्वारा उसका नाम काटे जाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है और ना ही अनावेदिका नब्बीबाई का नाम काटने या जोड़ने का उल्लेख आदेश में है । उन्होंने यह भी पाया है कि उसे पर्याप्त

निग0-2697-पन्द्रह/02

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2002 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–1997 स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	